राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण

बिहार, पटना

आर ब्लॉक रोड न0 2 दारोगा प्र0 राय पथ, पटना– 800001, दूरभाश : 2506394, 2506395 (फैक्स)

पत्रांक रा0 आ0 –संविदा–सूचना–19/2015 775 दिनाक 30.7.2015

प्रेषक,

विधु भुषण पाठक
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
निबंधक

DSD (HLC)

सेवा में,

सचिव ,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
8978(1) ...
30 JUL 2015
सं0..................

विषय :– संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियेमितीकरण हेतु सूचनाओं का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय प्रधान सचिव – सह– सदस्य सचिव, उच्च स्तारीय समिति, बिहार, पटना के पत्रांक – 002 दिनांक – 19.05.2015 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर विचारण हेतु राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना में संविदा पर नियोजित कार्यालय परिचारी के सम्बध में सूचना निम्नवत् है :–

1	प्रत्येक पद जिस नियोजन किया गया है, का पदनाम	कार्यालय परिचारी–श्री सनोज कुमार
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	01(एक)
3	किस योजना/ परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–4173 दिनांक708–10–2002 के द्वारा सृजित अतिरिक्त एवं अस्थायी चतुर्थ वर्ग के पद के विरूद्व राज्य आयोग के पत्रांक–532 दिनांक–04–12–2002 द्वारा सूचना पट पर विज्ञापित करने के बाद राज्य आयोग के पत्रांक– 02 दिनांक–02–01–2003 नियुक्ति की गयी ।
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ख' 'ग' या 'घ')	पद श्रेणी 'घ'
5	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/ पद सृजन आदेश	हाँ–संलग्न
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्व हुआ था अथवा नहीं	इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के पदणारण तक की गयी है। अध्यक्ष पद राज्य आयोग का शीर्षस्थ पद है जो अभी भी कार्यशील है ।

510-578
31/7/15
4-8-15

m.k8-0715

7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/ नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय)	इनकी नियुक्ति माननीय अध्यक्ष के पद धारण तक की गयी है। अध्यक्ष पद राज्य आयोग का शीर्षस्थ पद है जो अभी भी कार्यशील है ।
8	नियोजन हेतु चयन की प्रकिया	इनकी नियुक्ति राज्य आयोग के पत्रांक–532 दिनांक–04–12–2002 द्वारा सूचना पट पर विज्ञापित करने के पश्चात राज्य आयोग के तत्कालीन माननीय अण्यक्ष न्यायामूर्ति श्री डी0 पी0 एस0 चौधरी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में की गयी ।
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता	आठवां पास ।
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं	हाँ ।
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/ नियोजन पदाधिकारी।	राज्य आयोग द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में इनकी नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है ।
13	उपर्युक्त नियुक्ति/ नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत थी अथवा नहीं।	राज्य आयोग द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में इनकी नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है ।
14	नियोजन पत्र/ अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक बार की नियोजन प्रकिया के लिए)	इनकी नियुक्ति माननीय अध्यक्ष के पद धारण तक की गयी है। अध्यक्ष पद राज्य आयोग का शीर्षस्थ पद है जो अभी भी कार्यशील है ।
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	इनकी नियुक्ति माननीय अध्यक्ष के पद धारण तक की गयी है। अध्यक्ष पद राज्य आयोग का शीर्षस्थ पद है जो अभी भी कार्यशील है ।
16	प्रत्येक सेवाधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	लागू नही ।

17	प्रत्येक सेवाधि विस्तार आदेश का नमूना।	लागू नही ।
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/ पारिश्रमिक/वेतन/ब्यदेवसपकंजमक च्ंल इत्यादी की भुगतेय राशि।	रू0 2500/–प्रतिमाह
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	विभागीय आदेश संख्या 439 दिनांक–05–02–2003 द्वारा इनके भुगतान हेतु व्यय बजट शीर्ष 3456 नागरिक आपूर्ति निर्धारित किया गया । (छायाप्रति संलग्न)
20	जिस नियमावली/ संकल्प/परिपत्र के अर्न्तगत इन पदों का नियोजन की प्रकिया हुई, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	इनकी नियुक्ति से संबंधित कागजात की छायाप्रति संलग्न

अनुः–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/

निबंधक

राज्य आयोग

ज्ञापांक 775 दिनांक 30-7-15

प्रतिलिपि अनु के साथ प्रधान सचिव – सह– सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, बिहार, पटना को पत्रांक – 002 दिनांक – 19.05.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

निबंधक

राज्य आयोग

m.k8-0715

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।